

जुलाई 2019

पीआरएस की प्रमुख हाइलाइट्स

■ केंद्रीय बजट 2019-2020

■ वधि और न्याय

- आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) बलि, 2019
- सूचना का अधिकार (संशोधन) बलि, 2019
- इंटरनेशनल आरबिट्रेशन सेंटर बलि, 2019
- मुसलमि महिला (वविह अधिकार संरक्षण) बलि, 2019
- आरबिट्रेशन और कंसीलियेशन (संशोधन) बलि, 2019
- डीएनए टेक्नोलॉजी (प्रयोग और लागू होना) रेगुलेशन बलि, 2019
- ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) बलि, 2019
- उपभोक्ता संरक्षण बलि, 2019
- रफिेलिगि और संशोधन बलि, 2019
- कैबिनेट ने मध्यस्थता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये

■ गृह मामले

- गैर कानूनी गतविधि (नविवरण) संशोधन बलि, 2019
- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बलि, 2019
- मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) बलि
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) बलि, 2019
- असम समझौते पर समिति का गठन
- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) बलि, 2019

■ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) बलि, 2019
- राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बलि, 2019
- सेरोगेसी (रेगुलेशन) बलि, 2019
- होम्योपैथी सेंटरल काउंसिल (संशोधन) बलि, 2019
- डेंटिस्ट (संशोधन) बलि, 2019

■ वित्त

- अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स पर प्रतिबंध बलि, 2019
- वर्चुअल करेंसी पर रपिपोर्ट
- चटि फंड्स (संशोधन) बलि, 2019
- नए कर कानून का मसौदा तैयार करने वाले कार्यबल की अवधि बढ़ाई

■ श्रम और रोजगार

- कोड ऑन वेजेज़, 2019
- व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता, 2019
- व्यापारियों और दुकानदारों के लिये स्वैच्छिक पेंशन योजना अधिसूचि

■ कॉरपोरेट मामले

- कंपनी (संशोधन) बलि, 2019
- इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बलि, 2019

■ सड़क परिवहन और राजमार्ग

- मोटर वाहन (संशोधन) बलि, 2019

■ महिला एवं बाल विकास

- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) बलि, 2019

■ शिक्षा

- केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के कैंडर में आरक्षण) बलि, 2019



- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बलि, 2019
- **आवास और शहरी मामले**
 - सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) संशोधन, बलि, 2019
 - मसौदा मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019
 - शहरी जल संरक्षण के लिये दशिया नरिदेश
- **नागरिक उड्डयन**
 - भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बलि, 2019
- **जल शक्ति**
 - अंतर राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) बलि, 2019
 - बांध सुरक्षा बलि, 2019
- **संस्कृति**
 - जलयिवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) बलि, 2019
- **कृषि**
 - कृषि का कायापलट और कपबलक फीडबैक के लिये नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी सानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिये मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई गई
 - चीनी का 40 लाख मीटरकि टन का बफर स्टॉक
 - सलफर आधारित उर्वरकों के लिये सब्सिडी में बढ़ोतरी को मंजूरी
- **वाणजिय और उद्योग**
 - राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (संशोधन) बलि, 2019
- **पर्यावरण**
 - पॉलिसी
- **रक्षा**
 - रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिये योजना
- **ग्रामीण विकास**
 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -III की शुरुआत

केंद्रीय बजट 2019-20

2019-20 के लिये केंद्रीय बजट को संसद द्वारा पारित किया गया। बजट की मुख्य झलकियों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- सरकार ने वर्ष 2019-20 में 27,86,349 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है जो कविवर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 13.4% अधिक है।
- प्राप्तियों (शुद्ध उधारियों के अतिरिक्त) के 14.2% से बढ़कर 20,82,589 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2019-20 में नॉमिनल GDP के 12% की दर से बढ़ने का अनुमान है। राजस्व घाटा GDP के 2.3% पर लक्षित है जो कविवर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 2.2% अधिक है। राजकोषीय घाटा GDP के 3.3% पर लक्षित है जो कविवर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 3.4% कम है।

बजट के मुख्य नीतगत प्रस्तावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **बैंकिंग और वित्त:** सरकार की योजना है कि NBFCs को दिये गए धन के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंशिक रूप से गारंटी (नुकसान के पहले 10% के लिये) प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिये 70,000 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- **उधारियाँ:** वर्तमान में सरकार का सकल ऋण कार्यक्रम पूरी तरह से घरेलू ऋण के माध्यम से वित्तपोषित है। सरकार की योजना है कि वह विदेश में अपनी उधारी का एक हिस्सा विदेशी मुद्रा में जुटाए।
- **आधारभूत संरचना (Infrastructure):** अगले पाँच वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वर्ष 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने हेतु रेलवे के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाया जाएगा।

मुख्य कर परिवर्तनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **आयकर पर सरचार्ज (Surcharge on Income Tax):** पहले एक करोड़ रुपए से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की आय पर 15% का सरचार्ज लगता था। दो करोड़ रुपए और पाँच करोड़ रुपए के बीच की आय वाले व्यक्तियों के लिये आयकर पर सरचार्ज 25% तक बढ़ा दिया गया है और पाँच करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिये सरचार्ज 37% तक बढ़ा दिया गया है।
- **नगिम कर (Corporation Tax):** वर्तमान में 250 करोड़ रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाली कंपनियाँ 25% की दर से नगिम आयकर का भुगतान करती हैं। इस सीमा को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- **सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (Road and Infrastructure Cess):** पेट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में एक रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इन उत्पादों के लिये उत्पाद शुल्क में एक रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये कर में छूट (Tax Exemptions for Electric Vehicles):** इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिये गए ऋण पर

चुकाए जाने वाले ब्याज में 1,50,000 रुपए तक की कर कटौती प्रदान की जाएगी। यह कटौती वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बीच स्वीकृत ऋण पर लागू होगी।

कर कानूनों में परिवर्तन के अतिरिक्त फाइनांस बिल (Finance Bill), 2019 SEBI एक्ट, RBI एक्ट और पेमेंट तथा सेटलमेंट सस्टिमस एक्ट (Payment and Settlement Systems Act) जैसे अनेक अन्य कानूनों में परिवर्तन करता है। इन परिवर्तनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **सकियोरटिज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 (Securities and Exchange Board of India Act):** सेबी के जनरल फंड द्वारा किये जाने वाले खर्चे की सूची में पूंजीगत व्यय को शामिल करने के लिये एक्ट को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त बिल एक आरक्षणित नधिबिनाने के लिये एक्ट में संशोधन करता है जसि जनरल फंड के वार्षिक अधशेष के 25% के साथ जमा किया जाएगा। शेष राशि भारत के समेकति कोष में हस्तांतरति हो जाएगी।
- **भारतीय रज़िर्व बैंक एक्ट (Reserve Bank of India Act), 1934:** आरबीआई को एनबीएफसी के प्रबंधन से संबंधति उपाय करने में सक्षम बनाने के लिये एक्ट में संशोधन किया गया है। इनमें उनकी न्यूनतम शुद्ध मूल्य की शर्त में परिवर्तन, रेज़ोल्यूशन योजनाओं को तैयार करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सुपरसेशन तथा नदिशकों को हटाना शामिल हैं।
- **पेमेंट और सेटलमेंट सस्टिमस एक्ट (Payment and Settlement Systems Act), 2007:** इस एक्ट को संशोधति किया गया है ताकि कोई भी बैंक या पेमेंट सस्टिम प्रोवाइडर अपने ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिकि तरीके से भुगतान करने पर शुल्क न वसूल सके।

वधि और न्याय

आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) बिल, 2019

Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019

आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) बिल, 2019 संसद में पारति हो गया है। यह बिल 2 मार्च, 2019 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है। बिल आधार (वित्तीय एवं अन्य सबसिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षति वतिरण) एक्ट [Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act], 2016, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) नविरण एक्ट (Prevention of Money Laundering Act), 2002 में संशोधन करता है। आधार एक्ट यूनीक आइडेंटिटी नंबर, आधार नंबर के ज़रयि भारत में नविस करने वाले व्यक्तियों को सबसिडी और लाभ के लक्षति वतिरण का प्रावधान करता है।

सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019

Right to Information (Amendment) Bill, 2019

सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019 संसद में पारति हो गया। यह बिल सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 में संशोधन करता है।

इंटरनेशनल आरबिट्रेशन सेंटर बिल, 2019

New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2019

नई दलिली अंतर्राष्ट्रीय आरबिट्रेशन सेंटर बिल, 2019 संसद में पारति हो गया। यह बिल भारत में आरबिट्रेशन के बेहतर प्रबंधन के लिये एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थान स्थापति करने का प्रयास करता है। बिल के प्रावधान 2 मार्च, 2019 से लागू होंगे।

मुस्लमि महिला (वविह अधिकार संरक्षण) बिल, 2019

Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019

मुस्लमि महिला (वविह अधिकार संरक्षण) बिल, 2019 संसद में पारति हो गया। यह बिल 21 फरवरी, 2019 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है।

आरबिट्रेशन और कंसीलयिशन (संशोधन) बिल, 2019

Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2019

आरबिट्रेशन और कंसीलयिशन (संशोधन) बिल, 2019 को राज्यसभा में पारति किया गया। यह बिल आरबिट्रेशन और कंसीलयिशन एक्ट (Arbitration and Conciliation Act), 1996 में संशोधन करता है। एक्ट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आरबिट्रेशन से संबंधति प्रावधान हैं तथा यह सुलह प्रक्रिया को संचालति करने से संबंधति कानून को स्पष्ट करता है।

DNA टेक्नोलॉजी (प्रयोग और लागू होना) रेगुलेशन बिल, 2019

DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019

DNA टेक्नोलॉजी (प्रयोग और लागू होना) रेगुलेशन बिल [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill], 2019 लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल में कुछ लोगों की पहचान स्थापित करने हेतु DNA टेक्नोलॉजी के प्रयोग के रेगुलेशन का प्रावधान है।

ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019

Transgender (Protection of Rights) Bill, 2019

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019 लोकसभा में 19 जुलाई, 2019 को पेश किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण बिल, 2019

Consumer Protection Bill, 2019

उपभोक्ता संरक्षण बिल, 2019 लोकसभा में पारित किया गया। बिल उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 1986 का स्थान लेता है।

रपीलिंग और संशोधन बिल, 2019

Repealing and Amending Bill, 2019

रपीलिंग और संशोधन बिल, 2019 लोकसभा में पारित हो गया। बिल 58 एक्ट्स को पूरी तरह से रद्द करता है और दो अन्य कानूनों में संशोधन करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में नमिन्लखिति शामिल हैं:

- **कुछ कानूनों को पूरी तरह से रद्द करना:** बिल पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 58 कानूनों को रद्द करता है। इनमें 12 मूल एक्ट्स और 46 संशोधन एक्ट्स हैं। रद्द होने वाले मूल एक्ट्स में नमिन्लखिति शामिल हैं: (i) बीडी श्रमिक कल्याण नधि (Beedi Workers Welfare Fund Act), 1976 और (ii) म्यूनिसिपल टैक्सेशन एक्ट (Municipal Taxation Act) 1881। उल्लेखनीय है कि संशोधन एक्ट्स को रद्द करने का बहुत अधिक असर नहीं होगा, चूंकि संशोधन एक्ट्स को पहले ही मूल एक्ट्स में शामिल किया जा चुका है।
- **कुछ कानूनों में संशोधन:** बिल दो एक्ट्स में मामूली संशोधन करता है। इसमें कुछ शब्दों को बदला गया है। ये एक्ट हैं: (i) इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act), 1961 और (ii) इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट (India Institutes of Management Act), 2017।

कैबिनेट ने मध्यस्थता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये

केंद्रीय कैबिनेट ने मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट एग्रीमेंट्स पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on International Settlement Agreements) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। कन्वेंशन मध्यस्थता पर एक अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रदान करने का प्रयास करता है जिससे यह सुनिश्चित हो कि मध्यस्थता के जरिये किया गया समझौता सभी पक्षों को लिये बाध्यकारी और लागू करने योग्य हो। प्रेस रिलीज़ के अनुसार, कन्वेंशन के प्रावधान वैकल्पिक विवाद नविवारण प्रणाली, जैसे-आरबिट्रेशन, कंसीलियेशन और मध्यस्थता को मज़बूत करने का प्रयास करते हैं।

गृह मामले

गैर-कानूनी गतिविधि (नविवारण) संशोधन बिल, 2019

Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019

गैर-कानूनी गतिविधि (नविवारण) संशोधन बिल, 2019 लोकसभा में पारित हो गया। यह बिल गैर-कानूनी गतिविधि (नविवारण) एक्ट, 1967 में संशोधन करता है। एक्ट आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिये विशेष प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है।

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2019

Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2019 संसद में पारित हो गया। एक्ट प्रावधान करता है कि कुछ आरक्षण श्रेणियों को सरकारी पदों में नियुक्ति और पदोन्नति तथा प्रोफेशनल संस्थानों में दाखिले में आरक्षण दिया जाएगा। प्रोफेशनल संस्थानों में सरकारी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और

पॉलिटिकनक्स शामिल हैं। बलि की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल है:

- **नयिकृता में आरक्षण का दायरा बढ़ा:** एकट सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर पछिड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार के कुछ पदों पर नयिकृता और पदोन्नता में आरक्षण का प्रावधान करता है। एकट के अनुसार, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर पछिड़े वर्गों में वास्तविक नयित्रण रेखा के पास रहने वाले लोग शामिल हैं। बलि में संशोधन कर इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त एकट में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को नयित्रण रेखा के पास के क्षेत्र में नविस करने के आधार पर नयिकृत किया जाता है तो उसे उन क्षेत्रों में कम-से-कम सात साल तक सेवारत रहना होगा। बलि इस शर्त को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर भी लागू करता है।
- **आरक्षण से बाहर:** एकट कहता है कि जिस व्यक्ति की वार्षिक आय तीन लाख रुपए या राज्य सरकार द्वारा नरिदषिट राशि से अधिक है, उसे सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर पछिड़े वर्गों में शामिल नहीं किया जाएगा। हालाँकि यह प्रावधान वास्तविक नयित्रण रेखा के पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। बलि कहता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) बलि, 2019

Protection of Human Rights (Amendment) Bill

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) बलि, 2019 संसद में पारित हो गया। बलि मानवाधिकार संरक्षण एकट, 1993 में संशोधन करता है। यह एकट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC), राज्य मानवाधिकार आयोगों (State Human Rights Commissions-SHRC) और मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) बलि, 2019

National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) बलि, 2019 संसद में पारित हो गया। यह बलि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) एकट [National Investigation Agency (NIA) Act], 2008 में संशोधन करता है। एकट अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों (अनुसूचित अपराधों) की जाँच और मुकदमेबाज़ी के लिये राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त एकट अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिये विशेष अदालत गठित करने की अनुमति देता है।

असम समझौते पर समतिक गठन

असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिये उच्च स्तरीय समतिका गठन जनवरी 2019 में किया गया। उल्लेखनीय है कि इस समतिके गठन के लिये केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की थी। असम समझौते पर 15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षर किये गए थे।

- समझौते की धारा 6 कहती है कि असमी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषायी पहचान के संरक्षण के लिये उपयुक्त संवैधानिक, विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किये जाएंगे।
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानवृत्त) बपिलव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में समतिके 13 सदस्य होंगे।
- समतिके संदर्भ की शर्तों में नमिनलखिति शामिल है: (i) समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिये उठाए गए कदमों के असर की जाँच करना, (ii) असमी लोगों के लिये असम विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण के उपयुक्त स्तर का विश्लेषण करना और (iii) असमी तथा असम की अन्य भाषाओं के संरक्षण के उपाय सुझाना।
- समतिके छह महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट सौपेगी।

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) बलि, 2019

Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019

केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) बलि, 2019 को मंजूर किया। बलि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रयास करता है। बलि की कॉपी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि संवधान (103 संशोधन) एकट के ज़रिये आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया गया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) बलि, 2019

Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2019

इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) बलि, 2019 संसद में पारित किया गया। यह बलि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 में संशोधन करता है और इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) दूसरा अध्यादेश (Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance), 2019 का स्थान लेता है। एक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (Medical Council of India-MCI) की स्थापना करता है। यह संस्था मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है। बलि के प्रावधान 26 सितंबर, 2018 से प्रभावी होंगे।

राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बलि, 2019

National Medical Commission Bill, 2019

राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बलि, 2019 लोकसभा में पेश और पारित हो गया। बलि भारतीय मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 को नरिस्त करने और ऐसी मेडिकल शिक्षा प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करता है, जो नमिनलखिति सुवधिाँ सुनश्चिति करती हों : (i) पर्याप्त संख्या में उच्च क्वालटी वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता, (ii) मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा नवीनतम मेडिकल अनुसंधानों का उपयोग, (iii) मेडिकल संस्थानों का नियत समय पर आकलन और (iv) एक प्रभावी शिकायत नविवरण प्रणाली।

सेरोगेसी (रेगुलेशन) बलि, 2019

Surrogacy (Regulation) Bill, 2019

सेरोगेसी (रेगुलेशन) बलि, 2019 लोकसभा में पेश किया गया। बलि सेरोगेसी को ऐसे कार्य के रूप में पारभाषित करता है जिसमें कोई महिला किसी इच्छुक दंपत्ति के लिये बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद उस इच्छुक दंपत्ति को बच्चा सौंप देती है।

होम्योपैथी सेंटरल काउंसिल (संशोधन) बलि, 2019

Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019

होम्योपैथी सेंटरल काउंसिल (संशोधन) बलि, 2019 को संसद में पारित कर दिया गया। बलि होम्योपैथी सेंटरल काउंसिल एक्ट, 1973 में संशोधन करता है और होम्योपैथी सेंटरल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लेता है जिससे 2 मार्च, 2019 को जारी किया गया था। एक्ट के अंतर्गत सेंटरल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना की गई थी।

डेंटिस्ट (संशोधन) बलि, 2019

Dentists (Amendment) Bill, 2019

डेंटिस्ट (संशोधन) बलि, 2019 संसद में पारित किया गया। बलि डेंटिस्ट एक्ट, 1948 में संशोधन करता है। एक्ट डेंटिस्ट्री (दंत चिकित्सा) के पेशे को रेगुलेट करता है और नमिनलखिति का गठन करता है: (i) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (Dental Council of India), (ii) स्टेट डेंटल काउंसिल्स (State Dental Councils) और (iii) ज्वाइंट स्टेट डेंटल काउंसिल्स (Joint State Dental Councils)।

- एक्ट के दो भागों- भाग ए और भाग बी के अंतर्गत डेंटिस्ट्स को पंजीकृत किया जाता है। भाग ए में मान्यता प्राप्त डेंटल क्वालफिकेशन वाले व्यक्तियों को पंजीकृत किया जाता है और जिन लोगों के पास ऐसी क्वालफिकेशन नहीं है, उन्हें भाग बी में पंजीकृत किया जाता है। भाग बी में पंजीकृत व्यक्तियों को भारतीय नागरिकों के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पंजीकरण तथिाँ से कम-से-कम पाँच वर्ष पहले से डेंटिस्ट्स के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
- डेंटल काउंसिल्स की संरचना:** एक्ट के अंतर्गत डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट डेंटल काउंसिल्स और ज्वाइंट स्टेट डेंटल काउंसिल्स में भाग बी में पंजीकृत डेंटिस्ट्स के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बलि एक्ट की इस अनविवार्य शर्त को हटाता है कि भाग बी में पंजीकृत डेंटिस्ट्स को इन काउंसिल्स में प्रतिनिधित्व मलिनल चाहिये।

वतित

अनरेगुलेटेड डपिाँजटि स्कीम्स पर प्रतबिंध बलि, 2019

Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019

अनरेगुलेटेड डपिाँजटि स्कीम्स पर प्रतबिंध बलि, 2019 को संसद में पारित कर दिया गया। बलि अनरेगुलेटेड डपिाँजटि स्कीम्स पर प्रतबिंध लगाने और डपिाँजटिस् के हतितों की रक्खा करने का मैकेनज्म प्रदान करता है। यह बलि भारतीय रजिस्व बैंक एक्ट, 1934, सकियोरटिज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) एक्ट (Securities and Exchange Board of India Act), 1992 और मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट (Multi-State Cooperative Societies Act), 2002 में संशोधन करने का भी प्रयास करता है। बलि की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल है:

- **अनरेगुलेटेड डेपॉजिट स्कीम (Unregulated deposit scheme):** बलि के अनुसार डेपॉजिट उस धनराशि को कहा जाता है जिसे एडवांस, लोन या किसी दूसरे रूप में प्राप्त किया जाता है, साथ ही यह वादा किया जाता है कि उसे ब्याज या बनि ब्याज के लौटा दिया जाएगा। ऐसे डेपॉजिट को नकद या किसी सेवा के तौर पर लौटाया जा सकता है और उसे लौटाने की अवधि निर्दिष्ट हो सकती है या निर्दिष्ट नहीं भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त बलि स्पष्ट करता है कि कुछ नश्वर धनराशि को डेपॉजिट की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता, जैसे संबंधियों से मिलने वाले लोन की राशि और किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरों द्वारा पूंजी हेतु दिये गए योगदान।
- बलि आरबीआई और सेबी सहित नौ रेगुलेटरों को सूचीबद्ध करता है जो कि विभिन्न डेपॉजिट स्कीमों की नगिरानी और रेगुलेशन करते हैं। सभी डेपॉजिट टेकिंग स्कीम को संबंधित रेगुलेटर के पास रजिस्टर किया जाता है। एक डेपॉजिट टेकिंग स्कीम अनरेगुलेटेड हो सकती है अगर उसे कारोबार के उद्देश्य के लिये चलाया जा रहा है और वह बलि में लसिटेड रेगुलेटरों के पास रजिस्टर नहीं है।
- **अपराध और सजा:** बलि तीन प्रकार के अपराधों और उनकी सजा को स्पष्ट करता है। इन अपराधों में नमिनलखिति शामिल हैं: (i) अनरेगुलेटेड डेपॉजिट स्कीम को चलाना (वजिआपन देना, प्रमोट और ऑपरेट करना या उसके लिये धनराशि लेना), (ii) रेगुलेटेड डेपॉजिट स्कीम में धोखे से डिफिल्ट करना और (iii) जान-बूझकर झूठे तथ्य देकर अनरेगुलेटेड डेपॉजिट स्कीम में निवेश करने के लिये डिपॉजिटर्स को गलत तरीके से उकसाना। उदाहरण के लिये अनरेगुलेटेड डेपॉजिट प्राप्त करने पर दो से लेकर सात साल तक के कारावास की सजा भुगतनी होगी और तीन से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।

15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों में संशोधन

कैबिनेट समिति ने 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों में संशोधन को मंजूर किया। केंद्र-राज्यों के वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिये हर पाँच वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिये नमिनलखिति वर्षों पर सुझाव देने के लिये नवंबर 2017 में 15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष एन. के. सहि) का गठन किया गया था: (i) राज्यों के साथ केंद्रीय करों की साझेदारी, (ii) राज्यों के साथ केंद्रीय करों के वितरण को प्रबंधित करने वाले सिद्धांत और (iii) राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने वाले उपाय, ताकि पिंचायतों और नगर नगिमों को संसाधनों की पूर्ति की जा सके।

- संशोधन में 15वें वित्त आयोग से यह जाँच करने की अपेक्षा की गई है कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को वित्तपोषित करने के लिये अलग से व्यवस्था की जाए और अगर ऐसा है तो इस व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाए।
- केंद्रीय कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग की अवधि को एक महीने के लिये बढ़ाया है। आयोग से 30 नवंबर, 2019 तक रिपोर्ट सौंपने की अपेक्षा की जाती है।

वर्चुअल करेंसी पर रिपोर्ट

Report on Virtual Currencies

वर्चुअल करेंसी से जुड़े वर्षियों को समझने और इस संबंध में उपाय सुझाने के लिये नवंबर 2017 में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति को वर्चुअल करेंसीज के रेगुलेशन के लिये नीतिगत एवं कानूनी संरचना की जाँच करने का कार्य मिला था। समिति के मुख्य नषिकर्ष और सुझाव नमिन हैं:

- **वर्चुअल करेंसीज (Virtual Currencies):** वर्चुअल करेंसी किसी वैल्यू का कारोबार करने योग्य डिजिटल प्रारूप है जिसे एक्सचेंज के माध्यम या स्टोरड वैल्यू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया जाता। क्रिप्टोकॉरेंसी एक ऐसी ही वशिष्ट प्रकार की वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीकों से संरक्षित रखा जाता है।
- समिति ने क्रिप्टोकॉरेंसीज के साथ अनेक प्रकार की समस्याओं को चिह्नित किया, जैसे दामों में उतार-चढ़ाव, केंद्रीयकृत अथॉरिटी का अभाव, अधिक एनर्जी और कंप्यूटेशन की जरूरत, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्तपोषित किये जाने की आशंका। समिति ने सुझाव दिया कि राज्य द्वारा जारी की गई क्रिप्टोकॉरेंसीज को छोड़कर बाकी सभी नजि क्रिप्टोकॉरेंसीज को भारत में प्रतबंधित किया जाए।
- **आधिकारिक डिजिटल करेंसी (Official Digital Currency):** समिति ने गौर किया कि मौजूदा भुगतान प्रणालियों के मुकाबले आधिकारिक डिजिटल करेंसी के कई लाभ हैं। इसमें सभी लेन-देन की रकिंड्रिंग, करेंसी के वितरण का सुरक्षित तथा सस्ता तरीका और सीमापारिय भुगतानों के लिये सस्ती भुगतान प्रणाली शामिल है। समिति ने सुझाव दिया कि भारत में आधिकारिक डिजिटल करेंसी को शुरू करने के लिये खुले मसतषिक से सोचे जाने की जरूरत है। अगर ऐसी डिजिटल करेंसी जारी की जाती है तो आरबीआई उपयुक्त रेगुलेटर होना चाहिये।
- **क्रिप्टोकॉरेंसीज पर प्रतबंध और आधिकारिक डिजिटल करेंसी का रेगुलेशन मसौदा बलि, 2019 (Draft Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2019) :** अंतर-मंत्रालयी समिति ने एक मसौदा बलि प्रस्तावित किया जो कि क्रिप्टोकॉरेंसीज को प्रतबंधित करता है, भारत में क्रिप्टोकॉरेंसीज से संबंधित गतिविधियों को अपराध घोषित करता है और आधिकारिक डिजिटल करेंसी के रेगुलेशन का प्रावधान करता है। बलि देश में क्रिप्टोकॉरेंसी को जनरेट करने, बेचने, ट्रांसफर, जारी, नसितारण या प्रयोग करने पर प्रतबंध लगाता है। वह एक्सचेंज के माध्यम से, स्टोर वैल्यू या यूनिट ऑफ एकाउंट के तौर पर क्रिप्टोकॉरेंसी के इस्तेमाल को प्रतबंधित करता है। बलि में प्रावधान है कि क्रिप्टोकॉरेंसी भारत में लीगल टेंडर या करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बलि कहता है कि केंद्र सरकार आरबीआई के सेंटरल बोर्ड की सलाह से लीगल टेंडर के तौर पर करेंसी के डिजिटल प्रारूप को मंजूर कर सकती है।

वर्ष 2017-18 के लिये GST के अनुपालन ऑडिट पर CAG की रिपोर्ट

CAG submits report on compliance audit of GST for the year 2017-18

नयित्तरक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने वर्ष 2017-18 के लिये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अनुपालन ऑडिट पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ था। इसमें अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्र तथा राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष कर समाहित हैं। कैग के

मुख्य नषिकर्ष और सुझावों में नमिन शामिल हैं:

- **इनवॉयस मैचिंग (Invoice Matching):** कैंग ने कहा कि रटिर्न की जटलि प्रणाली और तकनीकी खामियों के कारण इनवॉयस मैचिंग प्रणाली, जो कि सप्लायर और प्राप्तकर्ताओं के जीएसटी रटिर्न को मैच करती है, को खतम कर दिया गया। इनवॉयस मैचिंग प्रणाली को इसलिये तैयार किया गया था ताकि यह वैरफाई किया जा सके कि टैक्सपेयर जसि इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit-ITC) का दावा करते हैं, उसे उनके सप्लायर ने चुका दिया है। ऐसी प्रणाली के अभाव में टैक्सपेयर बिना क्रॉस वैरफिकेशन के खुद आकलन करके आईटीसी का दावा करता है। कैंग ने कहा कि मौजूदा प्रणाली में टैक्सपेयर अनयिमति दावे करते हैं जिनकी जाँच नहीं की जा सकती और फ्रॉड की आशंका बनती है। इसलिये यह जरूरी है कि एसेसेज़ और टैक्स अधिकारियों के बीच एक फजिकिल इंटरफेस बना रहे। कैंग ने सुझाव दिया कि इनवॉयस मैचिंग और सरलीकृत रटिर्न को शुरू करके अनुपालन को आसान बनाया जाना चाहिये।
- **IGST सेटलमेंट का असर:** टैक्सपेयर आईटीसी का इस्तेमाल केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) और राज्य जीएसटी जैसे करों के भुगतान के लिये कर सकते हैं। कैंग ने कहा कि इनवॉयस मैचिंग प्रणाली के अभाव में टैक्सपेयर के अनयिमति या त्रुटिपूर्ण दावों से राज्यों के साथ आईजीएसटी के सेटलमेंट की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी वसूलती है। सेटलमेंट की प्रक्रिया में केंद्र सरकार राज्यों को आईजीएसटी में उनका हिस्सा सौंपती है।
- **आईजीएसटी सेटलमेंट्स में समस्याएँ:** कैंग ने गौर किया कि 2017-18 के अंत में सेटलमेंट प्रक्रिया के बाद आईजीएसटी एकाउंट में 2.1 लाख करोड़ रुपए का अनसेटलड बैलेंस जमा था। कैंग ने कहा कि इस जमा राशिका एक कारण यह था कि बहुत से लेन देन के सेटलमेंट में समस्याएँ थीं। यह कहा गया कि जीएसटी पोर्टल के सेटलमेंट एल्गोरदिम में टैक्सपेयर के रटिर्न के कारण त्रुटियाँ थीं। इसके अतरिकित यह भी कहा गया कि यह एल्गोरदिम अधूरे डेटासेट्स पर चल रही थी जसिमें डेटा उपलब्ध नहीं था। आयात एवं अपील और इनवॉयस मैचिंग प्रणाली जैसे प्रावधानों के लागू न होने के कारण डेटा उपलब्ध नहीं था। कैंग ने सुझाव दिया कि वित्त मंत्रालय को अब तक के जीएसटी सेटलमेंट्स की व्यापक समीक्षा करनी चाहिये, चूँकि इसका असर केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त पर पड़ता है।
- **जीएसटी राजस्व:** कैंग ने कहा कि वरष 2018-19 में जीएसटी से 5,81,563 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद है (महालेखा परीक्षक के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार)। यह वरष के 7,43,900 करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान से 22% कम है।

चटि फंड्स (संशोधन) बलि, 2019

Chit Funds (Amendment) Bill, 2019

केंद्रीय कैबिनेट ने चटि फंड्स (संशोधन) बलि, 2019 को मंजूरी दे दी है। यह बलि चटि फंड्स (संशोधन) बलि, 2018 के बाद आया है जसि मार्च 2018 को संसद में पेश किया गया था और 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह बलि लैप्स हो गया था। उल्लेखनीय है कि बलि की कॉपी अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है।

नए कर कानून का मसौदा तैयार करने वाले कार्यबल की अवधि बढ़ाई

Ministry of Finance extends term of the task force drafting new direct tax law

- वित्त मंत्रालय ने नए कर कानून का मसौदा तैयार करने वाले कार्यबल की अवधि 16 दिन बढ़ा दी है। आयकर एक्ट, 1961 की समीक्षा करने के लिये टास्क फोर्स का गठन नवंबर 2017 में किया गया था। इसका लक्ष्य नमिनलखिति के मददेनजर नए कर कानून का मसौदा तैयार करना था: (i) विभिन्न देशों में लागू प्रत्यक्ष कर प्रणाली, (ii) उत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियाँ, (iii) भारत की आर्थिक जरूरतें और (iv) कोई अन्य संबंधित मामला।
- जून 2019 में मंत्रालय ने टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों को बढ़ाया था ताकि नमिनलखिति को उसमें शामिल किया जा सके: (i) अनाम वैरफिकेशन और जाँच, (ii) मुकदमेबाज़ी में कमी और अपीलों का जल्द-से-जल्द नपिटान, (iii) प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अनुपालन के दबाव को कम करना, (iv) वित्तीय लेन देन के सिसिम आधारित क्रॉस वैरफिकेशन की प्रणाली और (v) विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं को साझा करना।
- टास्क फोर्स को 31 जुलाई, 2019 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। अब इसे 16 अगस्त, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।

श्रम और रोज़गार

कोड ऑन वेजेज़, 2019

Code on Wages, 2019

कोड ऑन वेजेज़, 2019 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह कोड उन सभी रोज़गारों में वेतन और बोनस भुगतान को रेगुलेट करता है जहाँ कोई उद्योग चलाया जाता है, व्यापार किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कोड नमिनलखिति चार कानूनों का स्थान लेता है: (i) वेतन का भुगतान एक्ट (Payment of Wages Act), 1936, (ii) न्यूनतम वेतन एक्ट (Minimum Wages Act), 1948, (iii) बोनस का भुगतान एक्ट (Payment of Bonus Act), 1965 और (iv) समान पारशिरमिक एक्ट (Equal Remuneration Act), 1976।

व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता, 2019

Code on Occupational, Safety, Health and Working Conditions, 2019

व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। संहिता न्यूनतम 10 श्रमकों वाले इस्टैब्लिशमेंट्स और सभी खानों एवं डॉक्स पर लागू होती है। संहिता 13 श्रम कानूनों का स्थान लेती है जिनमें यह कारखाना एक्ट, 1948; खान एक्ट, 1952 और अनुबंध श्रमिक (रेगुलेशन और उन्मूलन) एक्ट [Contract Labour (Regulation and Abolition) Act], 1970 शामिल हैं। संहिता की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल है:

- **नियोक्ताओं के कर्तव्य:** संहिता नियोक्ताओं के कर्तव्यों को वनिरिदषिट करती है। इनमें नमिनलखिति शामिल है: (i) ऐसे कार्यस्थल प्रदान करना, जो चोट या बीमारी की आशंका वाले जोखिमों से मुक्त हों और (ii) कर्मचारियों को नशुलक वार्षिक स्वास्थ्य जाँच प्रदान करना।
- **काम के घंटे:** इस्टैब्लिशमेंट्स और कर्मचारियों के वभिनिन वर्गों के लिये काम के घंटे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वनिरिदषिट नयिओं के अनुसार तय किये जाएंगे। महिला श्रमिक अपनी मर्जी से शाम सात बजे के बाद और सुबह छह बजे से पहले तभी काम कर सकती है, जब केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इसकी मंजूरी हो।
- **अवकाश:** कोई कर्मचारी हफ्ते में छह दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगा। श्रमकों की वैतनिक वार्षिक छुट्टी का कैलकुलेशन कम-से-कम हर 20 दिन के काम पर एक छुट्टी का होगा।
- **कार्य स्थितियों और सुवधियाँ:** नियोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कविह स्वच्छ कार्य परविश प्रदान करेगा जो हवादार, आरामदेह, तापमान और आर्द्रता वाला, खुला हुआ हो, वहाँ पीने के लिये साफ पानी मल्लि। इन सुवधियाँ में पुरुष, महिलाओं और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिये अलग-अलग स्नानागार और लॉकर रूम, कैटीन, प्राथमिक चिकित्सा की सुवधि और क्रेश शामिल हैं।
- **सलाहकार संस्थाएँ:** केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर व्यवसायगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड्स (Occupational Safety and Health Advisory Boards) बनाएंगी। संहिता के अंतर्गत मानदंड, नयिम और रेगुलेशन बनाने के लिये ये बोर्ड्स केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देंगे।
- **अपराध और दंड:** संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध, जसिमें कसिी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, करने पर दो वर्ष तक के कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है या पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, अथवा दोनों सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। इसके अतरिकित अदालत यह नरिदेश भी दे सकती है कि पीडित के उत्तराधिकारियों को जुर्माने की कम-से-कम आधी राशा मुआवज़े के तौर पर दी जाए। जनि उल्लंघनों में सजा वनिरिदषिट नहीं की गई है, उनमें नयोक्ता को दो से तीन लाख रुपए के बीच जुर्माना भरना पड़ेगा।

व्यापारियों और दुकानदारों के लिये स्वैच्छिक पेंशन योजना अधिसूचति

Voluntary pension scheme for traders and shopkeepers notified

श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना, 2019 नामक स्वैच्छिक पेंशन योजना को अधिसूचति किया। इसका उद्देश्य स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों को न्यूनतम आश्वस्त पेंशन प्रदान करना है। योजना की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल है:

- **पात्रता:** यह योजना 1.5 करोड़ रुपए से कम वार्षिक टर्नओवर वाले 18-40 वर्ष के दुकानदारों, फुटकर व्यापारियों और दूसरे स्व-रोज़गार प्राप्त व्यक्तियों पर लागू होगी। एनरोल करने के लिये सबस्क्राइबर का बैंक खाता और आधार नंबर होना चाहिये। इच्छुक व्यक्ती देश में कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिये जीवन बीमा नगिम के पेंशन फंड में खुद को एनरोल कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ज़रूरी पब्लिक यूटिलिटी सेवाओं की डलिविरी का एक्सेस प्वाइंट है।
- **न्यूनतम आश्वस्त पेंशन (Minimum Assured Pension):** योजना के अंतर्गत प्रत्येक सबस्क्राइबर को 60 वर्ष की उम्र होने पर 3000 रुपए प्रतमिह की न्यूनतम आश्वस्त पेंशन प्राप्त होगी। केंद्र सरकार भी लाभार्थी के अंशदान के बराबर अंशदान देगी। सरकार ने योजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर भन्नि-भन्नि मासिक अंशदान की राशा को अधिसूचति किया है। उदाहरण के लिये 29 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होने वाले व्यक्तीसे प्रतमिह 100 रुपए का अंशदान देने की अपेक्षा की जाएगी।
- **परिवार पेंशन:** अगर पेंशन प्राप्त करने के दौरान सबस्क्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी परिवार पेंशन की राशा के रूप में आधी पेंशन राशा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगा। अगर पेंशन मल्लिने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है (यानी 60 वर्ष से पूर्व) तो उसका जीवनसाथी अंशदान देते हुए पेंशन योजना जारी रख सकता है या उसे छोड़ भी सकता है। अगर वह पेंशन योजना को छोड़ना चाहे तो उसे लाभार्थी का अंशदान मल्लि जाएगा और उसमें फंड द्वारा अर्जति ब्याज या बैंक के बचत खाते की ब्याज दर से मल्लिने वाला ब्याज (इनमें से जो भी अधिक होगा) भी जुड़ा होगा। अगर सबस्क्राइबर और उसके जीवनसाथी, दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पूरा कॉरपस फंड में वापस जमा हो जाएगा।
- अगर लाभार्थी 60 वर्ष का होने से पहले वकिलांग हो जाता है तो उसका जीवनसाथी पेंशन योजना जारी रख सकता है या उसे छोड़ भी सकता है। अगर वह पेंशन योजना को छोड़ना चाहे तो उसे लाभार्थी का अंशदान मल्लि जाएगा और उसमें फंड द्वारा अर्जति ब्याज या बैंक के बचत खाते की ब्याज दर से मल्लिने वाला ब्याज (इनमें से जो भी अधिक होगा) भी जुड़ा होगा।
- **पेंशन योजना को छोड़ना और वापसी:** कसिी व्यक्ती द्वारा योजना छोड़ने पर मल्लिने वाली राशा का नरिधारण: (i) अगर वह 10 वर्ष के अंदर योजना को छोड़ देता है तो उसके हसिसे के अंशदान को उसे बचत खाते के ब्याज सहति लौटा दिया जाएगा और (ii) अगर वह 10 वर्ष के बाद लेकनि 60 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले योजना को छोड़ता है तो उसे उसका अंशदान वापस मल्लि जाएगा और उसमें फंड द्वारा अर्जति ब्याज या बैंक के बचत खाते की ब्याज दर से मल्लिने वाला ब्याज (इनमें से जो भी अधिक होगा) भी जुड़ा होगा।

कॉरपोरेट मामले

कंपनी (संशोधन) बलि, 2019

Companies (Amendment) Bill, 2019

कंपनी (संशोधन) बलि, 2019 को संसद में पारति किया गया। बलि कंपनी एक्ट, 2013 में संशोधन करता है।

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बलि, 2019

Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बलि, 2019 राज्यसभा में पारित किया गया। बलि इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 में संशोधन करता है। यह संहिता कंपनियों और व्यक्तियों के बीच इनसॉल्वेंसी को रजिॉल्व करने के लिये एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है।

सड़क परविहन और राजमार्ग

मोटर वाहन (संशोधन) बलि, 2019

Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019

मोटर वाहन (संशोधन) बलि, 2019 राज्यसभा में पारित किया गया। यह बलि सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिये मोटर वाहन एक्ट, 1988 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। यह एक्ट मोटर वाहनों से संबंधित लाइसेंस और परमिट देने, मोटर वाहनों के लिये मानक और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये दंड का प्रावधान करता है।

महिला एवं बाल विकास

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) बलि, 2019

Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) बलि, 2019 राज्यसभा में पेश और पारित किया गया। बलि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, 2012 में संशोधन करता है। यह एक्ट यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रयास करता है।

शिक्षा

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के कैंडर में आरक्षण) बलि, 2019

Central Educational Institutions (Reservation in Teacher's Cadre) Bill, 2019

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के कैंडर में आरक्षण) बलि, 2019 संसद में पारित हो गया। यह बलि 7 मार्च, 2019 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है। बलि (i) अनुसूचित जातियों, (ii) अनुसूचित जनजातियों, (iii) सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर पछिड़े वर्गों और (iv) आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों पर आरक्षण का प्रावधान करता है। बलि की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं :

- **पदों पर आरक्षण:** बलि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की सीधी भरती वाले पदों पर (कुल स्वीकृत संख्या में से) आरक्षण का प्रावधान करता है। इस आरक्षण के लिये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को एक यूनिट माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक विभाग के सामान्य पदों (जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर) को एक यूनिट मानकर आरक्षण श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पद आवंटित किये जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मौजूदा दशा-नरिदेशों में आरक्षण देने के लिये प्रत्येक विभाग को एक यूनिट माना जाता था।
- **कवरेज और अपवाद:** बलि सभी 'केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों' पर लागू होगा जिनमें संसदीय कानूनों के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय माने जाने वाले (डीमड) संस्थान, राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान और केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।
- हालाँकि बलि में कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सलेंस, शोध संस्थान और राष्ट्रीय एवं कूटनीतिक महत्त्व के संस्थानों को अपवाद माना गया है तथा बलि की अनुसूची में उनके संबंध में विनिरिदेश दिये गए हैं। बलि में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अपवाद बताया गया है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बलि, 2019

Central Universities (Amendment) Bill, 2019

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बलि, 2019 संसद में पारित हो गया। यह बलि केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट, 2009 में संशोधन का प्रयास करता है। 2009 का एक्ट विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिये विश्वविद्यालयों की स्थापना करता है।

- बलि आंध्र प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों- आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विशेष रूप से देश के जनजातीय लोगों के लिये जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं से संबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करने के लिये अतिरिक्त उपाय करेगा।
- उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2014 के अंतर्गत राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की

आवास और शहरी मामले

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) संशोधन, बलि, 2019

Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2019

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) संशोधन बलि, 2019 लोकसभा में पेश और पारित किया गया। बलि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) एक्ट, 1971 में संशोधन करता है। इस एक्ट में कुछ मामलों में सार्वजनिक परिसरों पर अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली का प्रावधान है।

- **नविस स्थान:** बलि 'नविस स्थान पर कब्जा' को इस प्रकार पारभाषित करता है कि इसका अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कब्जा किया जाना है जिसे उस कब्जे के लिये अधिकृत किया गया (लाइसेंस दिया गया) हो। यह लाइसेंस किसी निश्चित अवधि के लिये होना चाहिये या उस अवधि के लिये जब तक कि वह व्यक्ति पद पर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त केंद्र, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार या किसी संवैधानिक अथॉरिटी (जैसे संसदीय सचिवालय या केंद्र सरकार की कोई संस्था या राज्य सरकार) द्वारा बनाए गए नियम के तहत इस कब्जे की अनुमति होनी चाहिये।
- **बेदखली का नोटिस:** बलि नविस स्थान से बेदखली के लिये एक प्रक्रिया बनाने की बात कहता है। बलि में यह अपेक्षा की गई है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी नविस स्थान पर अनधिकृत कब्जा किया है तो एस्टेट ऑफिसर (केंद्र सरकार का एक अधिकारी) उसे लिखित नोटिस जारी करेगा। नोटिस में उस व्यक्ति से तीन कार्य दिनों के भीतर कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उसे बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए। इस लिखित नोटिस को नविस स्थान के वशिष्ट हिससे पर लगाया जाना चाहिये।
- **बेदखली का आदेश:** कारण बताओ नोटिस पर विचार करने और दूसरी जाँच के बाद एस्टेट ऑफिसर बेदखली का आदेश देगा। अगर कोई व्यक्ति आदेश नहीं मानता तो एस्टेट ऑफिसर उसे नविस स्थान से बेदखल कर सकता है और उस स्थान को अपने कब्जे में ले सकता है। इसके लिये एस्टेट ऑफिसर उतनी ताकत का प्रयोग कर सकता है, जतिनी जरूरी हो।
- **नुकसान की भरपाई:** अगर नविस स्थान में अनधिकृत कब्जा करने वाला व्यक्ति अदालत की बेदखली के आदेश को चुनौती देता है, तो उसे कब्जे की वजह से हर महीने होने वाले नुकसान की भरपाई करनी होगी।

मसौदा मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019

Draft Model Tenancy Act, 2019

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मसौदा मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019 जारी किया। मसौदा एक्ट रेंटल हाउसिंग से संबंधित मामलों के रेगुलेशन और उन पर शीघ्र नरिणय का प्रावधान करता है। यह मौजूदा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट्स को रद्द करने का प्रयास भी करता है। अंतिम मसौदा मॉडल टेनेन्सी एक्ट को राज्यों में सरकुलेट किया जाएगा। राज्य इस मॉडल एक्ट के प्रावधानों से तालमेल बैठाने के लिये नए टेनेन्सी को लागू कर सकते हैं या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकते हैं। मसौदा एक्ट की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **टेनेन्सी एग्रीमेंट (Tenancy Agreement):** ड्राफ्ट एक्ट में प्रावधान है कि भूस्वामी और करियेदार (पक्ष) के बीच एग्रीमेंट पर दस्तखत किये जाएँ। करियेदारी की अवधि, देय करिये और करिये के संशोधनों पर दोनों पक्ष सहमत होंगे और यह एग्रीमेंट में वनिर्दिष्ट होगा। इस एग्रीमेंट के बनिा किसी परिसर को करिये पर नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह एग्रीमेंट एक्ट की अनुसूची में नरिर्दिष्ट रूप में रेंट अथॉरिटी में रजिस्टर होना चाहिये। इसमें भूस्वामी तथा करियेदार का नाम, पता, पैन और आधार नंबर जैसे विवरण, परिसर का ब्योरा और देय करिये का जकिर होना चाहिये।
- **रेंट अथॉरिटी (Rent Authority):** राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार की पूर्व सहमति से ज़िला कलेक्टर रेंट अथॉरिटी (डिप्टी कलेक्टर के पद का) को नियुक्त करेगा। टेनेन्सी एग्रीमेंट की सूचना प्राप्त होने पर रेंट अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट पर उस एग्रीमेंट का विवरण अपलोड करना होगा। अथॉरिटी भूस्वामी या करियेदार के आवेदन पर करिये को तय या संशोधित कर सकती है। वह उस तारीख में भी संशोधन कर सकती है, जब से संशोधित करिया लागू होगा। अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ रेंट कोर्ट में अपील की जा सकती है और यह आदेश की तारीख के 30 दिनों के अंदर की जानी चाहिये।
- **रेंट कोर्ट्स (Rent Courts):** राज्य सरकार जतिने जरूरी हों, उतने रेंट कोर्ट्स बना सकती है। किसी क्षेत्र में दो या उससे अधिक अदालतें हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार मामलों का वितरण कर सकती है। रेंट कोर्ट में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से दो सदस्यों को नियुक्त कर सकती है। रेंट कोर्ट के आदेश के खिलाफ रेंट ट्रिब्यूनल में अपील की जाएगी और उसे आदेश के 30 दिनों के अंदर दायर किया जाना चाहिये।
- **रेंट ट्रिब्यूनल (Rent Tribunal):** राज्य सरकार जतिने जरूरी हों, उतने रेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है। एक क्षेत्र में अनेक ट्रिब्यूनल होने की स्थिति में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार उनमें से एक को प्रसिपिल रेंट ट्रिब्यूनल अधिसूचित कर सकती है। रेंट ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता प्रसिपिल अपीलीय सदस्य (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर के) द्वारा की जाएगी और उसमें दो सदस्य होंगे। रेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल 60 दिनों के अंदर मामले के निपटारे का प्रयास करेंगी।

शहरी जल संरक्षण के लिये दिशा-नरिदेश

Guidelines for urban water conservation

भारत के सामने वशिव के 4% मीठे जल स्रोतों से वशिव की 17% जनसंख्या की प्यास बुझाने की चुनौती है। वर्तमान में देश के एक बटा 10 हसिसे से भी वार्षिक वर्षाजल को संचति कया जाता है। नीतीआयोग के अनुसार भारत की लगभग 50% जनसंख्या पानी की ज़बरदस्त कमी से जूझ रही है। इसके मद्देनज़र आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत शहरी जल संरक्षण के लिये दशानरिदेश जारी कये हैं। 61 दशानरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ नमिनलखित हैं:

- **महतत्वपूर्ण क्षेत्र:** दशानरिदेशों में चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रावधान है: (i) वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting), (ii) उपचारित अपशषित जल (ट्रीटेड वेस्ट वॉटर) का पुनः उपयोग (Reuse of Treated Waste Water), (iii) शहरी जल स्रोतों का जीर्णोद्धार (Rejuvenation of Urban Water Bodies) और (iv) पौधरोपण (Plantation of Trees)।
- **कवरेज और समय-सीमा:** जल शक्ति मंत्रालय ने देश में 255 जिलों और 1,597 ब्लॉक्स को वॉटर स्ट्रेसड चहिनति कया है। इनमें 756 शहरी स्थानीय नकियों (Urban Local Bodies-ULBs) को वॉटर स्ट्रेसड चहिनति कया गया है। ULBs इन गतविधियों को दो चरणों में संचालित कर सकती हैं: (i) 1 जुलाई, 2019 से 15 सतिंबर, 2019 और (ii) 1 अक्टूबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019।
- **फंडगि:** अमृत योजना के अंतर्गत आने वाले शहर इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमृत के अंतर्गत न आने वाले शहर नमिनलखित का प्रयोग कर सकते हैं: (i) राज्य फंड्स, (ii) 14वें वतित आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान या (iii) CSR और भूमिदुद्रीकरण, इत्यादिके ज़रिये उपलब्ध फंड्स।
- वर्षा जल संचयन का अर्थ है, छत, सडक कनारे या खुले इलाकों में वर्षा जल को जमा और स्टोर करना, जसिे बाद में इस्तेमाल कया जा सके अथवा जल स्रोतों में वृद्धि के लिये भूजल में पुनर्भरण कया जा सके। ULBs नमिनलखित तरीकों से वर्षा जल संचयन कर सकते हैं: (i) भवन नरिमाण के नयियों में ऐसी व्यवस्था को लागू करना, और (ii) वर्षा जल संचयन इकाई को स्थापित करना जो का शहर में ऐसे संचयन की नगिरानी करेगी।
- उपचारित अपशषित जल के दोबारा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये ULBs यह सुनिश्चित करेगी का सभी सार्वजनिक और कमर्शयिल इमारतों में दोहरी पाइपिंग प्रणाली हो। अगर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो तो उस प्लांट के अपशषित जल को खेती और औद्योगिक उद्देश्य, फायर हाइड्रेंट्स और बड़े स्तर के नरिमाण कार्यों के लिये इस्तेमाल कया जाना चाहिये।
- ULBs नमिनलखित प्रकार से शहरी जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कर सकती हैं: (i) डी-सल्टिंग के ज़रिये जल स्रोतों की सफाई, (ii) जल स्रोतों के कनारों को अतिक्रमण से बचाना और (iii) जल स्रोत में घरेलू और औद्योगिक सीवेज को बहने से रोकना।

नागरिक उड्डयन

भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बलि, 2019

Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019

राज्यसभा में भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बलि, 2019 पेश और पारति कया गया। यह बलि भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2008 में संशोधन करता है। यह एक्ट भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (Airports Economic Regulatory Authority of India-AERA) की स्थापना करता है। AERA उन सविलियन एयरपोर्ट्स की एयरोनॉटिकल सेवाओं के लिये टैरफि और दूसरे शुल्क को रेगुलेट करती है जनिका वार्षिक ट्रैफिक 15 लाख यात्रियों से अधिक होता है। यह अथॉरिटी इन एयरपोर्ट्स में सेवाओं के प्रदर्शन मानकों का भी नरीक्षण करती है।

- **मुख्य एयरपोर्ट्स की परभाषा:** एक्ट के अंतर्गत मुख्य एयरपोर्ट्स में ऐसे एयरपोर्ट्स आते हैं जनिका वार्षिक यात्री ट्रैफिक 15 लाख से अधिक होता है या ऐसे एयरपोर्ट्स जनिहें केंद्र सरकार ने अधिसूचित कया हो। बलि वार्षिक यात्री ट्रैफिक की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख से अधिक करता है।
- **AERA द्वारा टैरफि तय करना:** एक्ट के अंतर्गत AERA नमिनलखित का नरिधारण करता है : (i) हर पाँच वर्षों में वभिनिन एयरपोर्ट्स की एयरोनॉटिकल सेवाओं का टैरफि, (ii) मुख्य एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट फीस और (iii) पैसेंजरस की सर्विस फीस। अथॉरिटी टैरफि तय करने और टैरफि संबंधी दूसरे कारय करने, जसिमें बीच की अवधि में टैरफि में संशोधन करना शामिल है, के लिये ज़रूरी सूचनाओं की मांग भी कर सकती है।
- बलि कहता है का AERA नमिनलखित का नरिधारण नहीं करेगी : (i) टैरफि, (ii) टैरफि का स्ट्रक्चर और (iii) कुछ मामलों में डेवलपमेंट फीस। जैसे-जब टैरफि की राशाबडि डॉक्यूमेंट (बोली लगाने वाले दस्तावेज़) का हसिसा हो जसिके आधार पर एयरपोर्ट ऑपरेशन का काम सौपा गया हो। इन दस्तावेज़ों में टैरफि को शामिल करने से पहले कनसेशनगि अथॉरिटी को AERA से सलाह लेनी होगी और उस टैरफि को अधिसूचित करना होगा।

जल शक्ति

अंतर-राज्यीय नदी जल वविाद (संशोधन) बलि, 2019

Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019

अंतरराज्यीय नदी जल वविाद (संशोधन) बलि, 2019 लोकसभा में पेश और पारति कया गया। बलि अंतर-राज्यीय नदी जल वविाद एक्ट, 1956 में संशोधन करता है। यह एक्ट राज्यों के बीच नदियों और नदी घाटियों से संबंधित वविादों में अधनरिणय का प्रावधान करता है।

- एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार केंद्र सरकार से आग्रह कर सकती है कविह अंतरराज्यीय नदी जल वविाद को अधनरिणय के लिये ट्रिब्यूनल को सौपे। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है का बातचीत से वविाद का नविरण नहीं हो सकता तो वह शकियत प्राप्त करने के एक साल के अंदर जल वविाद ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती है। बलि इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करता है।
- **वविाद नविरण समिति:** बलि के अंतर्गत अगर राज्य कसिी जल वविाद के संबंध में अनुरोध करता है तो केंद्र सरकार उस वविाद को सौहारदपूर्ण तरीके से हल करने के लिये वविाद नविरण समिति (Disputes Resolution Committee-DRC) की स्थापना कर सकती है। DRC में एक अध्यक्ष और

वशिषज्ज होगा। वशिषज्जों को संबंधित क्षेत्रों में कम-से-कम 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त होना चाहिये और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामति किया जाएगा। समिति में उन राज्यों का एक-एक सदस्य होगा (संयुक्त सचिव स्तर का) जो विवाद के पक्ष हैं। इन सदस्यों को भी केंद्र सरकार द्वारा नामति किया जाएगा।

- DRC एक साल के अंदर बातचीत के ज़रिये विवादों को हल करने का प्रयास करेगी (इस अवधि को छह महीने तक और बढ़ाया जा सकता है) तथा केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अगर DRC द्वारा विवाद का निपटारा नहीं होता तो केंद्र सरकार इस मामले को अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल को भेज सकती है। ऐसा DRC की रिपोर्ट के प्राप्त होने के तीन महीने के अंदर होना चाहिये।
- **ट्रिब्यूनल:** केंद्र सरकार जल विवादों पर फैसला देने के लिये अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगी। इस ट्रिब्यूनल की अनेक खंडपीठ हो सकती हैं। सभी मौजूदा ट्रिब्यूनलों को भंग कर दिया जाएगा और नरिणय लेने के लिये जो मामले उन ट्रिब्यूनलों में लंबित पड़े होंगे, उन्हें नए ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- **ट्रिब्यूनल की संरचना:** ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन न्यायिक सदस्य तथा तीन वशिषज्ज होंगे। उन्हें सलेक्शन समिति की सलाह से केंद्र सरकार द्वारा नामति किया जाएगा। ट्रिब्यूनल की खंडपीठ में एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक वशिषज्ज होगा। केंद्र सरकार सेंटरल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस में काम करने वाले दो वशिषज्जों को एसेसरस के तौर पर नियुक्त कर सकती है जो खंडपीठ की कार्यवाही के संबंध में उसे सलाह दे सकते हैं। यह एसेसर उस राज्य से नहीं होना चाहिये जो कविवाद का पक्ष है।

बांध सुरक्षा बलि, 2019

Dam Safety Bill, 2019

बांध सुरक्षा बलि, 2019 लोकसभा में पेश किया गया। बलि देश भर में नरिदष्टि बांधों की चौकसी, नरिीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी प्रावधान करता है। बलि इन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत प्रणाली का भी प्रावधान करता है।

संस्कृति

जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) बलि, 2019

Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019

जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) बलि, 2019 लोकसभा में पेश किया गया। बलि जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक एक्ट, 1951 में संशोधन करता है।

कृषि

कृषि का कायापलट और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करने के लिये मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई गई

प्रधानमंत्री ने कृषि के कायाकल्प तथा किसानों की आय बढ़ाने के उपाय करने के लिये मुख्यमंत्रियों की हाई पावरड समिति का गठन किया है। इस समिति में नमिनलखित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे: (i) महाराष्ट्र (समिति का कनवीनर), (ii) अरुणाचल प्रदेश, (iii) गुजरात, (iv) हरियाणा, (v) कर्नाटक, (vi) मध्य प्रदेश और (vii) उत्तर प्रदेश। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सहि तोमर और नीतिआयोग के सदस्य रमेश चंद शामिल हैं।

समिति के संदर्भ की शर्तें नमिनलखित हैं:

- कृषि के कायाकल्प तथा किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना।
- कृषि मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट खेती से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा तैयार किये गए मॉडल कानूनों को अपनाने और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिये राज्यों को तौर-तरीके सुझाना,।
- आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार के नियंत्रण के लिये अनविर्य वस्तु एक्ट, 1955 के प्रावधानों की जाँच करना।
- कृषि मार्केटिंग और बुनियादी ढाँचे में नजिी नविश को आकर्षित करने के लिये एक्ट में बदलाव का सुझाव देना।
- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) और ग्रामीण कृषि बाज़ार जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ बाज़ार सुधारों को जोड़ने वाली व्यवस्था का सुझाव देना।
- नमिनलखित के लिये नीतित उपाय सुझाना: (i) कृषि नरियात को बढ़ावा देना, (ii) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बढ़ती हुई वृद्धि, और (iii) आधुनिक बाज़ार का बुनियादी ढाँचा, मूल्य श्रृंखलाओं और लॉजिस्टिक्स में नविश को आकर्षित करना।
- कृषि-परिदोगिकी को वैश्विक मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने के उपाय सुझाना और किसानों को कृषि क्षेत्र में उन्नत देशों से अच्छे बीज, पौधे और मशीनरी उपलब्ध कराना।

चीनी का 40 लाख मीटरकि टन का बफर स्टॉक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी मलों के लिये 40 लाख मीटरकि टन का बफर स्टॉक बनाने की एक योजना को मंजूरी दी। योजना में यह अपेक्षा की गई है कि चीनी

मलिन अगस्त 2019 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिये इस बफर स्टॉक को बनाएँ। इस योजना में नमिनलखित प्रयास किये गए हैं: (i) चीनी मलिन की लक़िवडिटी में सुधार और गन्ना कसिनानों का बकाया चुकाने की कोशिश, (ii) चीनी इन्वेंटरीज़ को कम करना और (iii) घरेलू बाज़ार में चीनी की कीमत को स्थिर करना।

सल्फर आधारित उर्वरकों के लिये सब्सिडी में बढ़ोतरी को मंजूरी

Sulphur-based Fertilisers

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 के लिये सल्फर आधारित उर्वरकों के लिये सब्सिडी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। यह सब्सिडी पोषण आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत उर्वरक निर्माताओं और आयातकों को फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक (Phosphatic and Potassic-P&K) उर्वरकों की बिक्री के लिये प्रदान किया जाता है जो उनमें मौजूद पोषक तत्वों पर आधारित होते हैं।

- सल्फर आधारित उर्वरकों की सब्सिडी दर 2018-19 के लिये 2.72 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2019-20 के लिये 3.56 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 के लिये अन्य पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश) के लिये सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दी।
- इन पोषक तत्वों की सब्सिडी दर पिछले वर्ष से अपरवर्तित बनी हुई है और नमिनानुसार हैं: (i) नाइट्रोजन के लिये 18.90 रुपए प्रति किलोग्राम, (ii) फॉस्फोरस के लिये 15.22 रुपए प्रति किलोग्राम और (iii) पोटैश के लिये 11.12 रुपए प्रति किलोग्राम। वर्ष 2019-20 के लिये मंजूर दरें अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी।
- P & K उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने की लागत 2019-20 में 22,876 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

वाणज्य और उद्योग

राष्ट्रीय डज़ाइन संस्थान (संशोधन) बलि, 2019

Draft National Resource Efficiency Policy, 2019

राज्यसभा में राष्ट्रीय डज़ाइन संस्थान (संशोधन) बलि, 2019 पेश किया गया। यह बलि राष्ट्रीय डज़ाइन संस्थान एक्ट, 2014 में संशोधन करता है जो कि अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डज़ाइन संस्थान को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करता है।

- बलि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा में चार अन्य राष्ट्रीय डज़ाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान घोषित करने का प्रयास करता है।
- वर्तमान में ये चारों संस्थान सोसायटी पंजीकरण एक्ट, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत हैं और इन्हें डगिरी या डपिलोमा देने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित होने के बाद चारों संस्थानों को डगिरी और डपिलोमा देने की शक्ति मिल जाएगी।

पर्यावरण

पब्लिक फीडबैक के लिये नेशनल रसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी

Draft National Resource Efficiency Policy released for public feedback

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सार्वजनिक टिपणपत्रों के लिये मसौदा नेशनल रसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी जारी की। इस नीति में कहा गया है कि भारत में मैटीरियल उपभोग वर्ष 1970 में 1.2 बिलियन टन से छह गुना बढ़कर वर्ष 2015 में 7 बिलियन हो गया। तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या और आर्थिक विकास के मद्देनजर वर्ष 2030 में इसके दोगुने होने की उम्मीद है। इससे संसाधनों के गंभीर रूप से समाप्त होने और पर्यावरणीय दुर्दशा की भी आशंका है। यह नीति प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपशिष्ट के पुनर्चक्रण (अपसाइकलिंग) को बढ़ावा देने के प्रयास करेगी। इस नीति की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखित शामिल हैं:

- **वसितार क्षेत्र:** नीति का उद्देश्य सभी संसाधनों (जैसे वायु, जल) और सामग्रियों का हर चरण जैसे-कच्चा माल, निकासी, प्रसंस्करण और उत्पादन में कारगर उपयोग करना है।
- **मार्गदर्शन सिद्धांत:** यह नीति नमिनलखित सिद्धांतों से निर्देशित है: (i) संसाधनों की खपत में सतत कमी, (ii) रसोर्स एफिशिएंट दृष्टिकोण से उच्च मूल्य का सृजन, (iii) अपशिष्ट को कम-से-कम करना, (iv) मैटीरियल सप्लाइ की सुरक्षा सुनिश्चित करना और (v) पर्यावरण के लिये लाभप्रद रोजगार अवसरों और कारोबारी मॉडल का सृजन।
- **अथॉरिटीज़:** नीति में नेशनल रसोर्स एफिशिएंसी अथॉरिटी (National Resource Efficiency Authority-NREA) की स्थापना का प्रावधान है जो कि नीति के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रबंधन और समीक्षा करेगी। संबंधित राज्य सरकारें और मंत्रालय रसोर्स एफिशिएंट रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार होंगे। कार्यान्वयन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी नेशनल रसोर्स एफिशिएंसी बोर्ड (National Resource Efficiency Board) की स्थापना की जाएगी।
- **लक्ष्य और कार्य योजनाएँ:** नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। एसडीजी में वर्ष 2030 तक एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार की विश्वव्यापी दर को

दोगुना करने और सतत खाद्य उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करने सहित 12 लक्ष्य शामिल हैं।

- नीति में कहा गया है कि NREA संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और हतिधारकों के परामर्श से तीन वरषीय कार्ययोजना तैयार करेगी। रसिोर्स एफ्रीशिएंसी की रणनीतियों वकिसति की जाएंगी जो क्षेत्र वशेष के वसितार, लक्ष्य, समय और कार्य योजनाएँ तैयार करेगी। NREA इन रणनीतियों के कार्यानवयन के लिये तीन वरषीय कार्ययोजनाओं को अपनाएगी। पहली कार्ययोजना वरष 2019-22 के लिये तैयार की गई है।

रक्षा

रक्षा क्षेत्र में MSMEs को बढ़ावा देने के लिये योजना

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में MSMEs को बढ़ावा देने के लिये एक योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश भर के टयिर II और टयिर III शहरों के MSMEs को रक्षा क्षेत्र की ज़रूरतों और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये सरकार के प्रयासों के संबंध में शक्ति कराना है।

- इसके लिये अनेक कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे, जैसे कनक्लेव और वर्कशॉप्स। इन कार्यक्रमों में रक्षा उत्पादन वभिण तथा उद्योग एवं MSMEs के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। इन कार्यक्रमों के नमिनलखित उद्देश्य हैं: (i) MSMEs को सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के बारे में प्रासंगिक जानकारी देना, (ii) घरेलू ज़रूरतों और मैत्रीपूर्ण देशों को नरियात करने के लिये देश में रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देना और (iii) गैर-रक्षा क्षेत्र में सक्रिय MSMEs को जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि वे रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर सकें।
- इस योजना का वतितपोषण केंद्र सरकार नमिनलखित प्रकार से करेगी: (i) राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के लिये 2 लाख रुपए प्रति कार्यक्रम की अधिकतम स्पॉन्सरशिप और (ii) राज्य स्तर के कार्यक्रमों के लिये 1 लाख रुपए प्रति कार्यक्रम की अधिकतम स्पॉन्सरशिप। योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा के लिये तीन सदस्यों वाली एक एम्पावरड समिति बनाई जाएगी।

ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -III की शुरुआत

आर्थिक मामलों की मंत्रमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य वरष 2019-20 से 2024-25 के दौरान 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करना है। योजना की अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपए है। इन सड़कों का चयन वभिन्न मापदंडों पर आधारित होगा, जैसे कि आबादी, बाज़ार तक पहुँच और शैक्षिक एवं चकितिसा सुविधाएँ।

- वरष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य वनिरिदषिट जनसंख्या समूह (मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक और उत्तर-पूर्व, पहाड़ी, आदवासी या रेगसितानी क्षेत्रों में 250 से अधिक-2001 की जनगणना) की उन बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना था जो बाकी क्षेत्रों से जुड़ी हुई नहीं थीं।